



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12052021-226980
CG-MH-E-12052021-226980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2021/वैशाख 22, 1943

No. 194]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 2021/VAISAKHA 22, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

गांधीनगर, 7 मई, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु004.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु004, तारीख 20 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण की अधिसूचना में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 के हिन्दी पाठ के पृष्ठ 6 और अंग्रेज़ी पाठ के पैरा 11 में,-

विनियम 13(8) के अधीन “ब्याज दर या मुद्रा व्युत्पादों में व्यापार के लिए व्यापार सदस्य के रूप में या किसी व्युत्पन्न क्षेत्र में निकासी और परिनिर्धारण के लिए व्यावसायिक निकासी सदस्य के रूप में कृत्य करना” शब्दों के स्थान पर “ब्याज दर या मुद्रा व्युत्पादों में व्यापार के लिए व्यापारिक सदस्य के रूप में और/या किसी व्युत्पन्न क्षेत्र में समाशोधन और परिनिर्धारण के लिए समाशोधन सदस्य के रूप में कृत्य करना” शब्द पढ़ें।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./58/2021-22]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**CORRIGENDUM**

Gandhinagar, the 7th May, 2021

IFSCA/2020-21/GN/REG004.—In the notification of International Financial Services Centres Authority, published in the Gazette of India, at page 6 of Hindi version and page 11 of English version of International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number IFSCA/2020-21/GN/REG004 dated the 20th November, 2020-

Under Regulation 13 (8) for “Function as a trading member for trading in interest rate or currency derivatives or as a professional clearing member for clearing and settlements in any derivative segment”, read “Function as a trading member for trading in interest rate or currency derivatives and/or as a clearing member for clearing and settlements in any derivative segment”.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[Advt.-III/4/Exty./58/2021-22]